अध्याय IV
शिक्षक

अध्याय IV

शिक्षक

स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, छात्र शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) बनाये रखना, शिक्षक की भर्ती के लिये व्यावसायिक अर्हता के लिये मान और मानक, उनके प्रशिक्षण और शिक्षकों को शैक्षिक प्रयोजनों के अलावा अन्य में परिनियोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान आर.टी.ई. अधिनियम एवं एम.पी.आर.टी.ई. नियम में किया गया है।

आर.टी.ई. अधिनियम के तहत एक विद्यालय के लिए मान और मानकों के अनुसार, एक प्राथमिक विद्यालय में 60 तक प्रवेश दिये गये बालकों की संख्या हेतु दो शिक्षक, 61 से 90 के मध्य बालकों हेतु तीन शिक्षक, 91 से 120 के मध्य बालकों हेतु चार शिक्षक, 150 बालकों से अधिक हेतु पांच शिक्षक एवं एक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। इस प्रकार एक प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों तक छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। एक प्राथमिक विद्यालय में, 200 बालकों से अधिक पर, छात्र शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोडकर) 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक होना चाहिए ताकि छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 के साथ (i) विज्ञान और गणित (ii) सामाजिक विज्ञान, और (iii) भाषा, प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में, जहां प्रवेशित बालकों की संख्या 100 से अधिक हो, में एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक भी नियुक्त किया जाना होता है। उक्त मानकों ने स्पष्ट रूप से एकल शिक्षक विद्यालयों को निषेध किया है।

4.1 शिक्षकों की उपलब्धता

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 25 में यह प्रावधान है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्ष के भीतर, अर्थात मार्च 2013 तक, विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करेंगे। विभाग ने विद्यालयों में आवश्यक न्यूनतम शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश (जून 2010) जारी किए थे। आगे, एम.पी.आर.टी.ई. नियम का नियम 17 (2) निर्धारित करता है कि राज्य शिक्षा केन्द्र प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र के पूर्व शिक्षकों की स्थिति पुनर्विलोकन करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति नियमित शिक्षकों, संविदा शिक्षकों, (प्राथमिक विद्यालयों हेतु संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु वर्ग 2) और अतिथि शिक्षकों से की गई थी। राज्य स्तर पर एवं नमूना जांच किये गये जिलों में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2016 की स्थिति में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत स्थिति **तालिका 4.1** में दी गई है।

तालिका 4.1 : मार्च 2016 की स्थिति में शासकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत की स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

विवरण	स्वीकृत पद		कार्यरत शिक्षकों की स्थिति		रिक्त पद	
	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक
राज्य स्तर	2,43,342	1,19,757	2,05,409	93,839	37,933	25,918
नमूना जांच किए गये 12 जिले, इंदौर* को छोडकर	62,010	32,226	46,942	22,203	15,068	10,023

(स्रोत : राज्य के ए.डब्लू.पी. एण्ड बी. 2016–17 और जिलों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)
***डी.ई.ओ., इंदौर द्वारा जानकारी प्रदाय नहीं की गई**

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मान के अनुसार राज्य सरकार, शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सकी।

जैसा की तालिका 4.1 में विस्तृत है, राज्य के ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के अनुसार, मार्च 2016 की स्थिति में शिक्षक/प्रधान अध्यापकों के 63,851 रिक्त पद थे, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में 16 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 22 प्रतिशत रिक्त पद शामिल थे। 2015–16 के यू–डाईस आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2.85 लाख शिक्षक थे, जिसके फलस्वरूप, इन विद्यालयों में शिक्षकों के 77,611 पद रिक्त थे।

नमूना जांच किये गये जिलों में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों स्तर पर क्रमशः 24 प्रतिशत एवं 31 प्रतिशत शिक्षकों के पद रिक्त थे। इस प्रकार, आर.टी.ई. अधिनियम के तहत दायित्व के बावजूद, राज्य सरकार, शासकीय विद्यालयों हेतु अपेक्षित शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित नहीं कर सकी। आगे, आर.एस.के. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी (जून 2016) के विश्लेषण से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- आर.टी.ई. मान के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 2.20 लाख शिक्षकों की आवश्यकता के विरूद्व 1.96 लाख शिक्षक पदस्थ थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि तीन जिले भोपाल, इंदौर और शाजापुर में 381 शिक्षक अधिक थे, जबकि शेष 48 जिलों में 24,468 शिक्षकों की कमी थी। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक विद्यालयों में 3,284 प्रधान अध्यापकों की आवश्यकता के विरूद्व 4,124 प्रधान अध्यापक पदस्थ थे। जबकि, 29 जिलों में 1,445 प्रधान अध्यापक अधिक थे एवं 21 जिलों में 605 प्रधान अध्यापक कम थे।

- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 1.19 लाख शिक्षकों की आवश्यकता के विरूद्व 70,875 शिक्षक उपलब्ध थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आर.टी.ई. मान के अनुसार न्यूनतम तीन शिक्षकों की आवश्यकता के विरूद्व 2015–16 के दौरान 7,937 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में केवल दो शिक्षक पदस्थ थे। वर्ष 2011–12 की तुलना में ऐसे दो शिक्षकों वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 388 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वृद्वि हुई थी। आगे, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 12,453 प्रधान अध्यापकों की आवश्यकता के विरूद्व 9,155 प्रधान अध्यापक पदस्थ थे। जबकि, छह जिलों में 204 प्रधान अध्यापक आर. टी.ई. मान से अधिक पदस्थ थे।

नमूना जांच किए गए जिलों एवं विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय विशिष्ट शिक्षकों की कमी परिलक्षित हुई। 26,715 विषय विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता के विरूद्व 16,692 शिक्षक उपलब्ध थे। नमूना जांच किए गए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 39 विद्यालयों में विज्ञान और गणित के शिक्षक उपलब्ध नहीं थे और 15 विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। आगे,

नमूना जांच किये गये जिलों में जिला शहडोल एवं सिंगरौली को छोडकर 65 प्राथमिक विद्यालयों में 136 शिक्षक एवं 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 27 शिक्षक पदस्थ थे, जहाँ कोई नामांकन नहीं था।

इस प्रकार, कई जिलों/विद्यालयों में अधिक संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना के साथ–साथ बडी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त थे। हालांकि, युक्ति–युक्तकरण के लिए निर्देश जारी किए गए थे किंतु शिक्षकों की पदस्थापना हेतु अपनाया गया तंत्र उद्देश्यपरक नहीं था।

शिक्षकों के रिक्त पद के संदर्भ में डी.पी.आई ने बताया (अगस्त 2016) कि 25,356 संविदा शाला शिक्षक वर्ग–2 एवं –3 के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि 19,200 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं 6,500 उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी थी। विभाग ने आगे बताया कि युक्ति–युक्तकरण के लिए मौजूदा तंत्र पारदर्शी और उद्देश्यपरक था जिसमें भेदभाव हेतु कोई गुंजाइश नहीं थी और शिक्षकों के युक्ति–युक्तकरण हेतु प्रत्येक वर्ष अनुदेश जारी किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि, राज्य सरकार को मार्च 2013 तक आर.टी.ई. मान के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में अधिक शिक्षकों का पदस्थ होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिक्षकों की आवश्यकता को उपयुक्त रूप से पुनर्विलोकन नहीं किया गया और शिक्षकों के युक्ति–युक्तकरण हेतु जारी निर्देशों का जिला/संभाग स्तरीय अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह आर.एस.के. द्वारा शिक्षकों की पदस्थापना में निगरानी की कमी को दर्शाता है।

4.1.1 छात्र–शिक्षक अनुपात

आर.टी.ई. अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात क्रमशः 30:1 एवं 35:1 निर्धारित किया गया है। 2015–16 के दौरान, राज्य सरकार के विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2– राज्य सरकार के विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात

(आंकड़े संख्या में)

मार्च 2016 को राज्य में 18,940 प्राथमिक विद्यालयों एवं 13,763 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात देखा गया।

विद्यालय प्रबंधन	विद्यालयों की संख्या	नामांकन	शिक्षकों की संख्या	शिक्षक प्रति विद्यालय	पी.टी.आर.
राज्य सरकार के विद्यालय	1,14,255	78,95,815	2,85,480	3:1	28:1
निजी विद्यालय	26,446	46,86,979	1,96,800	7:1	24:1

(स्रोतः यू–डाइस)

जैसा कि तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि छात्र–शिक्षक अनुपात शासकीय विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में बेहतर था। आगे, शासकीय विद्यालयों में तीन शिक्षकों के विरूद्व निजी विद्यालयों में प्रति विद्यालय सात शिक्षक थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2010–16 के दौरान राज्य में प्राथमिक स्तर के 18,940 से 48,132 शासकीय विद्यालयों में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के 13,763 से 15,107 विद्यालयों में प्रतिकूल छात्र–शिक्षक अनुपात था। इस प्रकार, आर.टी.ई. अधिनियम के तहत निर्धारित छात्र–शिक्षक अनुपात मान जो मार्च 2013 तक हासिल किए जाने थे, 2015–16 तक भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जैसा **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: राज्य में प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात वाले शासकीय विद्यालयों की संख्या

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	प्रतिकूल छात्र–शिक्षक अनुपात वाले प्राथमिक विद्यालय		प्रतिकूल छात्र–शिक्षक अनुपात वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2012–13	38,759	47	15,107	52
2015–16	18,940	23	13,763	45

(स्रोतः यू–डाइस)

जैसा की तालिका 4.3 में वर्णन किया गया है प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–शिक्षक अनुपात में 2012–13 एवं 2015–16 के मध्य, सुधार हुआ और प्रतिकूल छात्र–शिक्षक अनुपात वाले प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में कमी आई। तथापि, राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में प्रतिकूल छात्र–शिक्षक अनुपात वाले विद्यालय थे। नमूना जांच किये गये 12 जिलों के 4,075 प्राथमिक विद्यालयों एवं 2,495 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, नमूना जांच किए गए 191 प्राथमिक विद्यालयों में से 57 प्राथमिक विद्यालयों और नमूना जांच किए गए 199 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 67 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्रतिकूल छात्र–शिक्षक अनुपात पाया गया। 2015–16 के दौरान, नमूना जांच किये गये जिलों एवं विद्यालयों में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां छात्र शिक्षक अनुपात नहीं बनाए रखा गया था को ***परिशिष्ट 4.1 और 4.2*** में दर्शाया गया है।

18,213 विद्यालयों में एक शिक्षक था, जो कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मान का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में विषय विशिष्ट शिक्षक नहीं थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसत विषय विशिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात भाषा में 331:1, गणित में 128:1 और सामाजिक विज्ञान में 172:1 था।

आगे, आर.टी.ई. के मान के अनुसार कोई एकल शिक्षक विद्यालय नहीं होना चाहिए। तथापि, मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में 18,213 एकल शिक्षक शासकीय विद्यालय संचालित थे। 2010–16 के दौरान, 17,938 से 20,245 एकल शिक्षक शासकीय विद्यालय थे। 2010–12 में एकल शिक्षक विद्यालय 17 प्रतिशत, 2012–13 में 18 प्रतिशत और 2014–16 में 16 प्रतिशत थे। इस प्रकार, वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या में मात्र एक प्रतिशत की कमी हुई थी। नमूना जांच किये गये नौ जिलों में, 3,110 विद्यालयों में एक शिक्षक और नमूना जांच किये गये 38 विद्यालयो में, एक शिक्षक पदस्थ था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन प्रयास कर रही है।

4.2 अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति

आर.टी.ई. मान के अंतर्गत, 100 से अधिक बालकों वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (i) कला शिक्षा, (ii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, एवं (ii) कार्य शिक्षा हेतु अंशकालिक शिक्षक होने चाहिये। स्कूल शिक्षा विभाग ने आर.टी.ई. अधिनियम के तहत आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था करनें हेतु डी.ई.ओ. को आदेश जारी किया था (अक्टूबर 2014)। आदेशानुसार, हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों, प्रशिक्षित योग शिक्षकों/संगीत/कला शिक्षकों कों, 100 से ज्यादा नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक सप्ताह में कम से कम एक दिवस हेतु संलग्न किया जाना था।

विभाग ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के मान का पालन नहीं किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये जिलों में अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, शासकीय विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि राज्य को कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा, प्रत्येक हेतु 13,022 अंशकालिक शिक्षकों के पदो की स्वीकृति की आवश्यकता थी। इनमें से 26,044 पदों की स्वीकृति की जा चुकी थी और अंशकालिक शिक्षकों की पूर्ति हेतु तत्काल व्यवस्था की जाएगी।

तथ्य यह है कि विभाग उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था करने के आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत मानकों का पालन करने में विफल रहा था।

4.3 शिक्षकों की अर्हता

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 23 (1) यह विनिर्दिष्ट करती है कि कोई व्यक्ति जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 23 (2) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (दिसम्बर 2011) के द्वारा राज्य को मार्च 2013 तक न्यूनतम योग्यता में शिथिलता की अनुमति प्रदान की गई थी। एक शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में, न्यूनतम अर्हताएं नहीं थी, को पांच वर्ष की अवधि के अंदर ऐसी अर्हताएं अर्जित करने की आवश्यकता थी।

ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2012–13 में राज्य ने पी.ए.बी. को सूचित किया था कि शासकीय विद्यालयों में 28,000 अप्रशिक्षित शिक्षक थे और इन शिक्षकों के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ईएल.ईडी.) हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) से विशेष अनुमति प्राप्त की गई थी। लेखापरीक्षा प्रश्न के जवाब में, आर.एस.के. ने बताया (अगस्त 2016) कि 2012–13 से 1,311 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था और 1,455 शिक्षक अप्रशिक्षित थे। इस प्रकार, शेष 25,234 शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

35 जिलों के संबंध में आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत आंकडों के विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि 1,188 शिक्षक निम्नलिखित कारणों से अप्रशिक्षित रहे (i) 398 शिक्षकों के उच्चतर माध्यमिक स्तर में 50 प्रतिशत से कम अंक थे, (ii) 323 शिक्षक डी.ईएल.ईडी. परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, (iii) 109 शिक्षक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे और (iv) 358 शिक्षक अन्य कारणों से अप्रशिक्षित थे यथा चिकित्सा आधार, अपंगता और अधिक आयु सीमा। शेष 16 जिलों के आंकडे आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

एन.सी.टी.ई. द्वारा प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं का पालन किया जाना था। स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 2015 तक शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधीश/डी.ई.ओ. को आदेश जारी किया (अगस्त 2013) था। नमूना जांच किए गए 390 विद्यालयों में, 1,599 शिक्षकों में से चार विद्यालयों के चार शिक्षकों के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं थी और 67 विद्यालयों में 174 शिक्षकों के पास व्यावसायिक अर्हता नहीं थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राज्य में निजी क्षेत्र के विद्यालयों के 2.49 लाख शिक्षकों में से 1.26 लाख शिक्षक (51 प्रतिशत) अप्रशिक्षित थे। नमूना जांच किए

गए जिलों में, डी.ई.ओ. के अभिलेखो की जांच में परिलक्षित हुआ कि सात[1] जिलों में निजी विद्यालयों के 18,715 शिक्षकों के पास निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हताएं नहीं थी। आगे, डी.ई.ओ. दतिया ने वर्ष 2015–16 में, 13 निजी विद्यालयों जिनमें अप्रशिक्षित शिक्षक थे, की मान्यता का नवीनीकरण किया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि वर्ष 2015–16 में 1,455 अप्रशिक्षित शिक्षक थे। विभाग ने आगे बताया कि, 2011–15 के दौरान 8,840 शिक्षकों को राज्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में प्रशिक्षित किया गया था, 1,311 शिक्षक इग्नू के द्वारा प्रशिक्षित हुए थे और 22,800 शिक्षक पत्राचार द्वारा प्रशिक्षित हुए थे। निर्धारित अर्हता न रखने वाले शिक्षकों को अवसर प्रदाय करने हेतु राज्य ने एम.ओ.एच.आर.डी. को शिथिलता प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2011–15 के दौरान प्रतिवेदित प्रशिक्षित किए गए शिक्षकों की संख्या 32,951 थी जो कि मार्च 2012 को शासकीय विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों (28,000) की संख्या से अधिक थी। इस प्रकार, शिक्षकों के प्रशिक्षण के आंकड़े सही नहीं थे। आगे, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्षों की समाप्ति के बाद भी विभाग द्वारा शिक्षकों की अर्हता हेतु निर्धारित मान एवं मानको को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

4.3.1 निजी विद्यालयों में शिक्षकों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा

निजी विद्यालयों के लिए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा हेतु कोई परीक्षा नहीं थी जबकि यह शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य थी।

एन.सी.टी.ई. अधिसूचना (अगस्त 2010) के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे निजी विद्यालयों के सहित किसी भी विद्यालय में एक व्यक्ति को अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिये आवश्यक अर्हताओं में से एक यह थी कि वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्वांतो के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण होना चाहिये। आर.एस.के. द्वारा जारी निर्देशों (मई 2012) के अनुसार शासकीय तथा निजी दोनों ही विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टीईटी राज्य में आयोजित नहीं की गई थी। जबकि, मध्य प्रदेश, पंचायत संविदा शाला शिक्षक (रोजगार एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम 6(2) के प्रावधान के अनुसार राज्य में 2011–12 में संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति के उद्देश्य से संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाला कोई भी उम्मीदवार शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पंचायत को आवेदन कर सकता है। संविदा शाला शिक्षक के चयन के लिए, मेरिट लिस्ट तैयार करने हेतु इस पात्रता परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ शैक्षणिक अनुभव और व्यावसायिक अहर्ता हेतु दिए गए अंको पर विचार किया जाना था। डी.पी.आई. द्वारा प्रदाय (अक्टूबर 2016) की गई जानकारी के अनुसार संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर वर्ष 2013–14 में 40,458 संविदा शाला शिक्षक ग्रेड–2 और ग्रेड–3 की नियुक्ति की गई थी।

आयुक्त आर.एस.के. और डी.पी.आई. ने निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टी.ई.टी. या ऐसी कोई पात्रता परीक्षा आयोजित करने के बारे में जानकारी नहीं दी। आर.एस.के. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदाय जानकारी के अनुसार, राज्य में 36,507 निजी विद्यालयों में 2.49 लाख शिक्षक कार्यरत थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि राज्य ने एन.सी.टी.ई. के दिशानिर्देशानुसार टी.ई.टी. आयोजित की थी। निजी विद्यालयों को सूचित किया गया

[1] भोपाल (6,904), बुरहानपुर (997), बालाघाट (2,153), दतिया (2,731), धार (3,505), झाबुआ (936) एवं रतलाम (1,489)।

था कि शिक्षकों की भर्ती उन्हीं अभ्यर्थियों में से होगी जिन्होंने टी.ई.टी. उत्तीर्ण किया था। निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टी.ई.टी. आयोजित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य में टी.ई.टी. आयोजित नहीं हुई थी। शासकीय विद्यालयों में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति हेतु संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा अयोजित की गई थी। निजी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता के लिये कोई ऐसी पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी यद्यपि शासकीय एवं निजी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु टी.ई.टी. एक अनिवार्य अर्हता थी।

4.4 अतिथि शिक्षक की नियुक्ति

आर.टी.ई. की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की कमी होने पर, नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने पर जहाँ शिक्षकों की कोई व्यवस्था नहीं थी और जब नियमित शिक्षक अवकाश पर थे एवं सात दिवस से अधिक के लिए अनुपस्थित थे, के मामलो में विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था की गयी थी। वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के संबंध में किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पात्र नहीं थे। अतिथि–शिक्षकों को प्रतिदिन प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 100 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 150 का भुगतान किया जाना था।

अतिथि–शिक्षकों, की नियुक्ति को किसी पद के विरूद्ध पदस्थापना के रूप में नहीं माना जाना था और यह शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक और तात्कालिक व्यवस्था थी। उन्हें कोई अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाना था और उनके कार्यानुभव को किसी भी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में विचार नहीं किया जाना था। अतिथि–शिक्षकों का चयन एक विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए वैध था।

राज्य में, वर्ष 2015–16 मे स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 75,698 अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए थे और 7,934 अतिथि शिक्षक आदिवासी कल्याण विभाग के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए गए थे। कैरियर के उन्नयित के विस्तार के बिना निम्न सेवाशर्तों के कारण अतिथि शिक्षकों में निम्न अभिप्रेरण की वजह से, इस प्रकार की व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि अतिथि–शिक्षकों के चयन हेतु अर्हता, अन्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता जैसी ही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अतिथि शिक्षक टी.ई.टी. अर्हता प्राप्त शिक्षक नहीं थे। इसके अलावा नौकरी की सुरक्षा और सेवाकालीन प्रशिक्षण के अभाव में, अतिथि शिक्षकों से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

4.5 शिक्षकों का प्रारंभिक/सेवाकालीन प्रशिक्षण

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2011–14 और 2015–16 के दौरान शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं नव नियुक्त शिक्षकों के प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई थी ***(परिशिष्ट–4.3)***। 2013–14 में नियुक्त किये गये 40,458 संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 2 और 3 में से मात्र 20,746 को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया था। 2011–16 के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी का प्रतिशत **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1 शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी

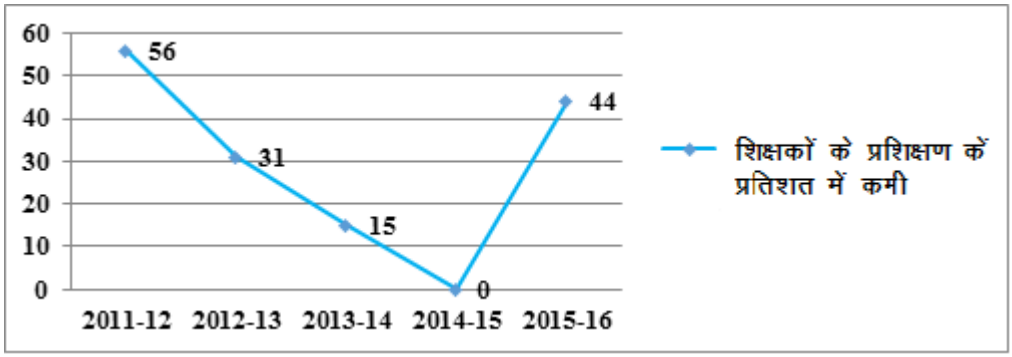

(स्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रदाय जानकारी)

राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी।

लेखापरीक्ष संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2013–14 के दौरान आर.एस.के. द्वारा शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु तीन वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना विकसित की गई थी। कक्षा III, IV और V के शिक्षकों को क्रमशः 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौरान इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाना था। जबकि, गणित और अंग्रेजी में कक्षा III के लिए केवल 2014–15 में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। 2015–16 में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि एस.एस.ए. के इस संघटक के अंतर्गत बजट आवंटन की कमी के कारण सेवाकालीन प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका था।

4.6 शिक्षक का उत्तरदायित्व

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 24(1) विनिर्दिष्ट करता है कि शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना चाहिए, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, देना चाहिये। यह अधिनिमय आगे शिक्षकों के लिये प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे जिसके अन्तर्गत तैयारी की घंटे भी सम्मिलित हैं विनिर्दिष्ट करता है। एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या पहली से पांचवी कक्षा के लिये 200 कार्य दिवस एवं छठी से आठवीं कक्षा के लिये 220 कार्य दिवस होना चाहिये। इसी प्रकार कक्षा एक से पांच के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे और कक्षा छह से आठ के लिए 1,000 शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए है।

आर.टी.ई. अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम कार्य दिवस की संख्या शिक्षण घंटे एवं प्रति सप्ताह कार्य घंटो का पालन नहीं किया गया था।

नमूना जांच किये गए जिलों एवं विद्यालयों के अभिलेखो की संवीक्षा और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी के विश्लेषण में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- नमूना जांच किए गए आठ[2] जिलो में 11 से 46 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों और नमूना जांच किए गए आठ[3] जिलो में 10 से 68 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने क्रमशः 200 कार्य दिवस और 220 कार्य दिवसों के आर.टी.ई. मान का पालन नहीं किया।

- 390 विद्यालयों में से 356 विद्यालयों में 3 घंटों से 18 घंटे के मध्य प्रति सप्ताह कार्य घंटो की कमी थी। 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 11 घंटों से 168 घंटों के मध्य शैक्षणिक घंटे में कमी थी।

[2] बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाडा, दतिया, धार, झाबुआ और शहडोल
[3] बालाघाट, भोपाल, छिंदवाडा, दतिया, धार, इंदौर, झाबुआ और शहडोल

- लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2015–16 के दौरान कक्षा I से VIII तक के 5.21 लाख बालकों को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित किया गया था, जो कि 5,190 शासकीय विद्यालय भवनों में पाली (शिफ्ट) में संचालित थे । नमूना जांच किए गए विद्यालयों में, हमने देखा कि दो जिलों[4] में तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय भवन में संचालित थे, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय (माध्यमिक विद्यालय, जमूनियाकलां) हाईस्कूल भवन में संचालित था और एक प्राथमिक विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय क्रमांक–2, बेटमा, देपालपुर, इंदौर) माध्यमिक विद्यालय भवन में संचालित था। इनमें से, एन.एम.एस.गेलारबाडी झाबुआ के शिक्षण घंटे कम पाए गए।

- 2010–16 के दौरान, राज्य स्तर पर 3,946 से 4,720 विद्यालयों में एकल क्लासरूम थे एवं 17,938 से 20,245 विद्यालयों में एक शिक्षक था। इससे विद्यालयों में बहु श्रेणी कक्षाओं (मल्टीग्रेड क्लासेस) की व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए 10 विद्यालयों में शिक्षकों और कक्षाओं की अनुपलब्धता या जहां विद्यालयों का युक्ति–युक्तकरण के कारण उन्नयन किया गया था, के कारण बहु श्रेणी कक्षाएं चल रही थी। परिणामस्वरूप, इन विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण घंटे, और कार्य घंटे बनाये रखने के आर.टी.ई. के आदेश को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत, शिक्षकों को माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करनी थी और बालकों के बारे में उपस्थिति में नियमितता, सिखने की क्षमता एवं लर्निंग में की गई प्रगति के बारे में उन्हें अवगत कराना था। जबकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि विद्यालय या विभाग द्वारा माता–पिता शिक्षक बैठक हेतु कोई समयावधि तय नहीं की गई थी। 241 (62 प्रतिशत) चयनित विद्यालयों में 2010–16 में, माता–पिता शिक्षक बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

- आर.टी.ई. अधिनियम के तहत शिक्षको की जिम्मेदारियों के अनुपालन के लिए शिक्षकों से अण्डरटेकिंग लेने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किए थे (मार्च 2010 और फरवरी 2014)। जबकि, अभिलेखो की संवीक्षा में पाया गया कि शिक्षकों से अपेक्षित अण्डरटेकिंग प्राप्त नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4.7 शिक्षकों का अन्य कार्यों मे परिनियोजन

आर.टी.ई अधिनियम की धारा 27 यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत, कार्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार (दिसंबर 2007), निर्वाचन नामावली सुधार से संबंधित अन्य कर्तव्यों में शिक्षकों का परिनियोजन छुट्टी के दिन, अशैक्षणिक दिवस और अशैक्षणिक समय के दौरान किया जायेगा।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर) ने भी मुख्य सचिव, म.प्र. शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा (मार्च 2013) कि शिक्षक, चुनाव से संबंधित कार्यों या बूथ स्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ.) संबंधित कर्तव्यों के बहाने का उपयोग कर, कार्य दिवस में स्कूल अवधि के दौरान बाहर न रहें। स्कूल शिक्षा विभाग

[4] झाबुआ (एन.एम.एस. गेलारबाडी, एम.एस. गुढा छोटा) और रतलाम (नवीन एम.एस. जमदाभिलान)।

ने जिलाधिकारियों को अनुदेश जारी किए (मार्च 2013) कि बी.एल.ओ के कार्य अन्य सरकारी कर्मचारियों को सौंपे जाए और शिक्षकों को बी.एल.ओ के कार्यों से मुक्त रखा जाए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें छुट्टी के दिन और अशैक्षणिक दिवस और उन बसाहटों में जहाँ वे विद्यालय में पदस्थ हैं, में तैनात किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जांच किये गए जिलों के डी.ई.ओ./डी.पी.सी., जिनका शिक्षकों पर प्रशासनिक नियंत्रण था, के पास 2010–16 के दौरान बी.एल.ओ. के रूप में तैनात शिक्षकों की संख्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा जिला समाहरणालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2010–16 के दौरान 10 जिलों में 3,469 शिक्षक बी.एल.ओ. के रूप में परिनियोजित किए गए थे। नमूना जांच किए गए 58 विद्यालयों में, 2010–16 के दौरान, 91 शिक्षक बी.एल.ओ. के रूप में परिनियोजित किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि बी.एल.ओ. के रूप में शिक्षक की नियुक्ति के लिए जारी किए गए आदेशों में इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि वे स्कूल समय के दौरान या उसके बाद के लिए नियुक्त किए गए थे। आगे, नमूना जांच किए गए विद्यालयों में, बी.एल.ओ. ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों ने उपस्थिति रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति दर्ज न करते हुए, बी.एल.ओ. ड्यूटी दर्ज की (प्राथमिक विद्यालय 29वी बटालियन, दतिया और पुरूषार्थी हिंदी माध्यमिक विद्यालय, बुरहानपुर)।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला चुनाव तंत्र द्वारा चुनाव से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बी.एल.ओ. के रूप में परिनियोजित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग/जिलाधीशों ने शैक्षणिक समय के बाद बी.एल.ओ. के रूप में शिक्षकों का परिनियोजन सुनिश्चित नहीं किया, जैसा कि एन.सी.पी.सी.आर. द्वारा निर्देशित किया गया था जिससे बालकों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ।

4.8 अनुशंसाऐं

- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए अनुदेश प्रभावी रूप से लागू किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात और एकल शिक्षक विद्यालय नहीं है।

- आर.टी.ई. अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्त करने और कार्य शिक्षा, कला शिक्षा और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए पाठयक्रम लागू करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि अंशकालिक शिक्षकों के पदों की पूर्ति की व्यवस्था शीघ्र ही कर ली जावेगी।

- बालकों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जाने चाहिये और अतिथि शिक्षकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि 19,200 प्राथमिक विद्यालय और 6,500 उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी।

- अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए और नए और अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु और सेवाकालीन शिक्षकों के कौशल को सुदृढ करने के लिए लगातार पहल की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि शिक्षकों की भर्ती के लिए निकट भविष्य में अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नव नियुक्त शिक्षकों के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। राज्य ने 1,111 शिक्षकों को छोड़कर अप्रशिक्षित शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया था।

- आवश्यक न्यूनतम कार्य दिवस, शिक्षण घंटे और प्रति सप्ताह कार्य घंटे का सख्ती से पालन होना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि जिलों को जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर में न्यूनतम निर्धारित दिवसों का उल्लेख है। निर्धारित कार्य दिवसों का पालन करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे।

- माता–पिता शिक्षक बैठक, आयोजित करने की समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए और नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि माता–पिता शिक्षक बैठक की समयावधि निर्दिष्ट करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।